**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 823**
**सोमवार, 27 जुलाई, 2026 (5 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर**

## भारतीय विमानपत्तनों पर ड्रोन घुसपैठ

**823. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तनों और उनके आस-पास ड्रोन घुसपैठ की विमानपत्तन-वार और वर्ष-वार कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं;
(ख) ऐसी घुसपैठ का पता चलने पर विमानपत्तन अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किन मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन किया जाता है और क्या इसके परिणामस्वरूप किसी उड़ान में देरी हुई, मार्ग परिवर्तित किया गया या उड़ान रद्द की गई;
(ग) क्या इन घटनाओं के कारण किसी वित्तीय हानि या परिचालन संबंधी व्यवधान की सूचना प्राप्त हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर ड्रोन-संबंधी सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन-रोधी प्रणालियों की तैनाती और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (घ): सरकार ने ड्रोन नियमावली, 2021 के तहत हवाईक्षेत्र प्रतिबंधों, संबंधित उल्लंघनों और प्रवर्तन का एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। नियम 22 ड्रोन परिचालनों के लिए हवाईक्षेत्र प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। ड्रोन नियमावली, 2021 के नियम 49 के तहत इनका उल्लंघन एक संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराध है। उपर्युक्त नियम के कथित उल्लंघन के मामलों से संबद्ध जानकारी रखी जाती है और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है।

******